



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022020-216024
CG-DL-E-07022020-216024

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]
No. 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2020/माघ 17, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2020/MAGHA 17, 1941

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2020

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2020

सं.एल-3(2)/विनियम-सामान्य (संशो.)/2020/सीसीआई.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एतद्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 को और संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 के विनियम 20 के उप-विनियम (4) में, अभिव्यक्ति "महानिदेशक की रिपोर्ट में सूचना या संदर्भ, जैसा भी मामला हो, में लगाए गए प्रत्येक आरोप पर उनके निष्कर्ष तथा साथ में अन्वेषण के दौरान एकत्र सभी साक्ष्य या दस्तावेज या बयान शामिल होंगे" निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"महानिदेशक की रिपोर्ट में उनके निष्कर्षों के साथ जांच के दौरान एकत्र सभी साक्ष्य या दस्तावेज या बयान शामिल होंगे। "

पी. के. सिंह, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./436/19]

टिप्पणी: प्रधान विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 21 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या आर-40007/6/ विनियम-सामान्य/अधिसूचना/04-सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में इन्हें संशोधित करके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 20 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या एल-3(2)-विनियम-सामान्य (संशोधन)/2009-10/सीसीआई; दिनांक 20 अक्टूबर, 2010 की संख्या एल-3(2)-विनियम-सामान्य (संशोधन)/2009-10/सीसीआई; दिनांक 31 मार्च, 2011 की संख्या एल-3(2)-विनियम-सामान्य (संशोधन)/2009-10/सीसीआई; दिनांक 8 नवम्बर, 2011 की संख्या एल-3(2)-विनियम-सामान्य (संशोधन)/2011/सीसीआई; दिनांक 7 अक्टूबर, 2013 की संख्या एल-3(2)-विनियम-सामान्य (संशोधन)/2013/सीसीआई; दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 की संख्या एल-3(2)-विनियम-सामान्य (संशोधन)/2018/सीसीआई और दिनांक 20 नवम्बर, 2019 की संख्या एल-3(2)-विनियम-सामान्य (संशोधन)/2019/सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2020

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2020

No. L-3(2)/Regln-Gen. (Amdt.)/2020/CCI.---In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 20, in sub-regulation (4), for the words “The report of the Director General shall contain his findings on each of the allegations made in the information or reference, as the case may be, together with all the evidences or documents or statements or analyses collected during the investigation”, the following shall be substituted, namely:-

“The report of the Director General shall contain his findings together with all the evidences or documents or statements or analyses collected during the investigation”.

P. K. SINGH, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./436/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* Notification number R-40007/6/Reg-General/ Noti/04-CCI, dated the 21st day of May, 2009 and subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notifications number L-3(2)/ Regln.-Gen. (Amdt.) 2009-10/CCI dated the 20th August, 2009; number L-3(2) Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 20th October, 2010; number L-3(2) Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 31st March, 2011; No. L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2011/CCI dated the 8th November, 2011; number L-3 (2)/Regln.-Gen.Amdt./2013/CCI dated the 7th October, 2013; number L-3 (2)/Regln.- Gen.(Amdt.)/2018/CCI dated the 6th December, 2018 and number L-3 (2)/Regln.- Gen.(Amdt.)/2019/CCI dated the 20th November, 2019.